# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)
## आदेश

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1657/2020 बिलासपुर, दिनांक– 22 अप्रैल, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1627/2020 दिनांक– 14.04.2020 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 189/स.प्र.वि./2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक– 16.04.2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1640 बिलासपुर, दिनांक– 20 अप्रैल, 2020 के द्वारा 20 अप्रैल, 2020 से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए निर्धारित समय–सीमा के लिए छूट प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के निर्देश क्रमांक 191/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक– 22.04.2020 तथा निर्देश क्रमांक 195/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक– 20.04.2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है–

2/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के अंतर्गत पैरा 6 A के अन्तर्गत कृषि उद्यानिकी गतिविधियों में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी–

ix. आयात/निर्यात हेतु पैकहाउस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं

x. कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधी शोध संस्थान–

xi. मधुमक्खी पालन के प्लान्टिंग मटेरियल, मधुमक्खी कॉलोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर परिवहन

3/वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन के संबंध में पूर्व में जारी समेकित दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पैरा 14 A निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी

xi. छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें,

xii. बिजली के पंखे की दुकानें

4/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के अंतर्गत व्यक्तियों के आवागमन के बारे में पैरा 17 iii. में भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नाविकों के जहाजों पर आवागमन के संबंध में निर्धारित एसओपी अनुसार प्रावधान किया गया है।

5/पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के पैरी 19 V में वन कार्यालयों अंतर्गत वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

6/स्पष्टीकरण– पूर्व में सचिव, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 4–3/22– DM-1(A)दिनांक 21.04.2020 द्वारा पूर्व में जारी समेकित दिशा निर्देशों अंतर्गत कई गतिविधियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है–

i सामाजिक क्षेत्र के पैरा 8 i में बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवायें दे रहे केयर गिवर सम्मिलित हैं।

ii पब्लिक यूटिलिटि के पैरा 11 V में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल है।

iii आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में पैरा 13 i में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

Scanned with CamScanner

इकाईयां जैसे कि ब्रेड बनाने वाली फेक्ट्रियां दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है।

iv बोर खनन की गतिविधियॉ (इस हेतु आवश्यक पास कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा परीक्षण कर जारी किया जाएगा)

7/ कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1640/2020 बिलासपुर दिनांक–20 अप्रैल, 2020 में उल्लेखित दुकानों में से निम्न दुकानों के संचालन हेतु नीचे लिखे अनुसार समय निर्धारित किया जाता है–

| क्रमांक | संस्थान/दुकानों का विवरण | खलने एवं बंद होने का समय/स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकाने, खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, पशु चारा (चौपाया, मछली चारा), | प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक |
| 2 | डेलीनीड्स, किराना, आटा चक्की, मोबाईल रिचार्ज दुकान एवं चश्मा दुकान, वाटर केन, पनीर एवं दूध से निर्मित मिठाईयां, | प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक |
| 3 | मिल्क पार्लर | प्रातः 7.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से 7.00 बजे तक |
| 4 | आटो मोबाईल, टायर, एवं टायर पंचर की दुकान<br>इलेक्ट्रिकल<br>हार्ड वेयर,<br>स्टेशनरी,<br>सेनेटरी (प्लम्बर) आयटम<br>बिजली पंखे की दुकान<br>निर्माण सामग्रीयों की दुकान–यथा सीमेंट, सरिया आदि | **सप्ताह में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को** प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक |

**टीप– अनुक्रमांक–4 में उल्लेखित दुकान/संस्थान सप्ताह में केवल दो दिवस प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही खोली जा सकेंगी।**

8/ गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिले में उपरोक्त कार्यवाही की जावे।शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

9/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

(डॉ0 संजय अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner